झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 744/2023

विकास आनंद, आयु लगभग 30 वर्ष, पिता - लोकनाथ ओझा निवासी - क्वार्टर सं. - F-171, हनुमान मंदिर, हनुमान गढ़ी, डाकघर एवं थाना- पतरातू, जिला - रामगढ़।

... ... अपीलकर्ता

विरुद्ध

1. झारखंड राज्य

2. भारत संघ, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के माध्यम से

... ... उत्तरदाता

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय प्रसाद

अपीलकर्ता के लिए	: श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता
	श्री मोहित राज, अधिवक्ता
	श्री वेंकटेश्वर गोपाल, अधिवक्ता
राज्य के लिए	: श्री पंकज कुमार, लोक अभियोजक
उत्तरदाता-भारत संघ के लिए	: श्री अमित कुमार दास, अधिवक्ता

सी.ए.वी. 06.02.2024 को, **28.02.2024 को घोषित**

सुजीत नारायण प्रसाद, जे. द्वारा:

<u>प्रार्थना</u>

1. वर्तमान क्रिमिनल अपील अपीलकर्ता की ओर से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 21(4) के तहत दायर की गई है, जिसमें दिनांक 03.04.2023 को एनआईए, रांची के विशेष न्यायाधीश-सह- अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त-XVI द्वारा, क्रिमिनल आवेदन संख्या 488/2023 में पारित आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है, जिसके द्वारा एनआईए केस RC-01/2020-21/NIA/RNC से संबंधित जमानत याचिका, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 353, 504, 506, 307, 427, 435, 386, 387, 120B, 121A और 216, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b), 26, 27 और 35, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 4, यूएपी अधिनियम की धारा 10, 13, 16(1)(b), 20 और 23, एवं सीएलए अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत दर्ज हुई थी, खारिज कर दी गई।

<u>तथ्य:</u>

2. अभियोजन का मामला बलुमाथ पुलिस स्टेशन को प्राप्त सूचना पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि 18.12.2020 को लगभग 19 घंटे पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने चेक पोस्ट नंबर 1, तेतारियाखंड कोलियरी के पास वाहनों को गोलीबारी कर जला दिया। हमलावरों ने उस पुलिस दल पर भी गोली चलाई जो मौके पर पहुंचा था। आरोपियों ने चार ट्रक, एक मोटरसाइकिल जलाई और चार नागरिकों को घायल कर दिया। जले हुए वाहनों के अवशेष, तार लगे हुए केन बम के टुकड़े, लगभग 02 लीटर की खाली सफेद रंग की गैलन, खर्च किए गए कारतूस और तीन हस्तलिखित पर्चे, जिनमें ट्रांसपोर्टर्स और कोल कंपनियों को धमकी दी गई थी, मौके से मिले। आगे की जांच में यह पता चला कि गैंगस्टर सुजीत सिन्हा (A-1) और अमन साहू @ अमन साव (A-2) ने आरोपी प्रदीप गंझू (A-3) और उसके सहयोगियों जैसे संतोष गंझू, बिहारी गंझू, साकेंद्र गंझू, प्रमोद गंझू और अन्य के साथ मिलकर CCL ट्रांसपोर्टर्स, ठेकेदारों, DO धारकों से उगाही करने और वैध कार्यों को बाधित करने के लिए षड्यंत्र रचा था। तदनुसार, बलुमाथ पीएस केस संख्या 234/2020, दिनांक 19.12.2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 353, 504, 506, 307, 427, 435, 386, 387 और 120B, आर्म्स एक्ट की धारा 27, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत सुजीत सिन्हा, अमन साहू @ अमन

साव, प्रदीप गंझू, संतोष गंझू, बिहारी गंझू, प्रमोद गंझू और कुछ अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया।

3. भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने अपराध की गंभीरता और इसके अंतरराष्ट्रीय और सीमा-पार प्रभाव को देखते हुए, NIA अधिनियम 2008 की धारा 6(5) को धारा 8 के साथ पढ़ते हुए आदेश जारी किए और उपरोक्त मामले की जांच को एनआईए द्वारा संभालने का निर्देश दिया।

4. गृह मंत्रालय के निर्देश पर, एनआईए ने 04.03.2021 को एनआईए केस संख्या 01/2021/NIA-RNC को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 353, 504, 506, 307, 427, 435, 386, 387, 120B, 121A, 216, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b), 26, 27 और 35, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4, सीएलए अधिनियम की धारा 17 और यूएपी अधिनियम की धारा 10, 13, 16(1)(b), 20 और 23 के तहत पुन: पंजीकृत किया।

5. जांच के बाद एनआईए ने पंकज करमाली @ खेतिया (A-23), **विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (A-26),** आकाश कुमार रॉय @ मोनू रॉय (A-27) और अपीलकर्ता कुंदन कुमार (A-28) के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

6. अपीलकर्ता को 18.12.2021 को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया, यानी एनआईए द्वारा जांच संभालने के बाद, और इस प्रकार जमानत की प्रार्थना की गई थी लेकिन इसे 03.04.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है।

<u>अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन:</u>

7. श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की जमानत की प्रार्थना को खारिज करने वाले आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है:

I. यह कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार शेड्यूल अपराध के तहत अपीलकर्ता के अपराध में शामिल होने के बारे में कोई विशिष्ट जिम्मेदारी नहीं है और जांच के दौरान आरोप पत्र में भी अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ नहीं आया है।

II. अपीलकर्ता को वर्तमान मामले में इसलिए फंसाया गया है क्योंकि वह दिल्ली में दर्ज एक मामले में शस्त्र आपूर्ति से संबंधित पाया गया था, लेकिन उक्त मामले में

उसे जमानत दे दी गई है। इसलिए यह निवेदन किया गया है कि जब वर्तमान अपीलकर्ता की संलिप्तता को वर्तमान मामले में दिल्ली में दर्ज मामले के आधार पर दिखाया गया है और जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए वर्तमान मामले में भी अपीलकर्ता को जमानत प्रदान करके वही लाभ दिया जाना चाहिए।

III. यह निवेदन किया गया है कि आरोप पत्र की जांच से यह स्पष्ट होगा कि सह-आरोपियों के इकबालिया बयान को छोड़कर अपीलकर्ता को अपराध में शामिल करने या षड्यंत्र में उसकी संलिप्तता को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं आया है जो शेड्यूल अपराधों के तहत आरोप लगाने के लिए आकर्षित कर सके।

IV. हिरासत की अवधि के बारे में भी आधार लिया गया है, साथ ही यह भी कि परीक्षण जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है और इसलिए उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए निवेदन किया गया है कि खारिज किए गए आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

V. अपने निवेदन के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों और उनके अनुच्छेदों पर भरोसा किया है:

1. **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब [(2021) 3 एससीसी 713] अनुच्छेद – 16, 17, 19।**

2. **जाहिर हक बनाम राजस्थान राज्य [2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 441]।** अनुच्छेद-11 से 14।

3. **केखियेसातुओ टेप और अन्य बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण [(2023) 6 एससीसी 58],** अनुच्छेद 13, 17 से 19।

4. **येदला सुब्बा राव और अन्य बनाम भारत संघ [(2023) 6 एससीसी 65]** अनुच्छेद 24 से 26, 15।

5. **वेरनॉन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 885],** अनुच्छेद: 35, 36, 40, 43, 44।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आधारों के आधार पर यह प्रस्तुत किया है कि माननीय अदालत ने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए वर्तमान अपील को स्वीकृत किया जाना उचित है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन:

9. दूसरी ओर, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के लिए उपस्थित श्री अमित कुमार दास, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधारों पर खारिज किए गए आदेश का बचाव किया है:

- **(i)** अपीलकर्ता के खिलाफ विशिष्ट आरोप है, जैसा कि आरोप पत्र के विभिन्न अनुच्छेदों, जैसे अनुच्छेद संख्या 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.31, 17.32, 17.36 और 18.1 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।
- **(ii)** अपीलकर्ता जिन अन्य दो आरोपियों, अर्थात्, आकाश कुमार रॉय @ आकाश रॉय @ मोनू और कुंदन कुमार को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करता था, उनकी जमानत याचिकाएं क्रमशः 13.02.2023 और 30.06.2023 को आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 1238/2022 और आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 298/2023 में खारिज कर दी गई हैं।
- **(iii)** इसके अलावा, एक सह-आरोपी जिनके खिलाफ आश्रय देने का आरोप था, अर्थात्, अजय तुर्री, जिनकी जमानत याचिका भी 17.05.2023 को आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 133/2023 में खारिज कर दी गई थी, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (क्रिमिनल) संख्या 16471/2023 दायर की थी, जिसे भी 22.01.2024 को खारिज कर दिया गया।
- **(iv)** जहां तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णयों की लागू होने की बात है, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई भी निर्णय लागू नहीं होता है।

10. श्री दास, प्रतिवादी-एनआईए के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत किया है कि चूंकि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं और जिन समान स्थिति में आरोपी व्यक्तियों को अपीलकर्ता ने हथियारों की आपूर्ति की थी, उनकी जमानत

पहले ही खारिज की जा चुकी है, इसलिए वर्तमान अपील को भी खारिज किया जाना उचित है।

<u>विश्लेषण:</u>

11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और माननीय निचली अदालत द्वारा खारिज आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्षों के साथ-साथ आरोप पत्र की प्रति को भी देखा।

12. अभियोजन के संस्करण से यह स्पष्ट होगा कि 18.12.2020 को बलुमाथ पुलिस स्टेशन में प्राप्त सूचना पर बलुमाथ पीएस केस संख्या 234/2020 दर्ज किया गया था, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ वाहनों को जलाने और तेतारियाखंड कोलियरी के पास चेक पोस्ट नंबर 1 के पास अंधाधुंध गोलीबारी करने का आरोप लगाया गया था। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस दल पर भी बदमाशों ने गोली चलाई। आरोपियों ने चार ट्रक, एक मोटरसाइकिल जलाई और चार नागरिकों को भी घायल कर दिया। घटनास्थल से जले हुए वाहनों के अवशेष, तार के साथ एक केन बम के टुकड़े, लगभग 02 लीटर की सफेद रंग की खाली गैलन, खर्च किए गए कारतूस और खनन क्षेत्र में शामिल ट्रांसपोर्टरों और कोल कंपनियों को धमकी देने वाले तीन हस्तलिखित पर्चे, जो प्रदीप गंझू द्वारा हस्ताक्षरित थे, मिले। पुलिस ने जांच में पाया कि सुजीत सिन्हा और अमन साहू @ अमन साव ने आरोपी प्रदीप गंझू और उनके सहयोगियों अर्थात्, संतोष गंझू, बिहारी गंझू, साकेंद्र गंझू, प्रमोद गंझू और अन्य के साथ मिलकर CCL ट्रांसपोर्टरों, ठेकेदारों, DO धारकों से उगाही करने और वैध कार्यों को बाधित करने की साजिश रची थी।

13. उपरोक्त आरोपों के आधार पर, बलुमाथ पी.एस. केस नंबर 234/2020, दिनांक 19.12.2020 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149, 353, 504, 506, 307, 427, 435, 386, 387 और 120B, आर्म्स एक्ट की धारा 27, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया था।

14. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने NIA अधिनियम 2008 की धारा 6(5) के साथ धारा 8 के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए NIA को बलुमाथ पी.एस. केस

नंबर 234/2020, दिनांक 19.12.2020 की जांच करने का निर्देश दिया, जिसे फिर से दर्ज किया गया और केस नंबर 01/2021/NIA-RNC के रूप में पुनः पंजीकृत किया गया। इसके बाद अपीलकर्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।

15. अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कथित अपराध में अपीलकर्ता की कोई विशेष भूमिका नहीं है, और उसे वर्तमान मामले में शामिल किया गया है क्योंकि वह दिल्ली में एक मामले में हथियारों की आपूर्ति से संबंधित पाया गया था, लेकिन उस मामले में उसे जमानत मिल चुकी है।

16. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि सह-आरोपियों के इकबालिया बयान को छोड़कर कोई अन्य सबूत नहीं है जो अपीलकर्ता को अपराध के कथित आयोग या साजिश में शामिल होने से जोड़ सके। यह भी कहा गया है कि चूंकि मुकदमे के शीघ्र पूरा होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

17. दूसरी ओर, श्री अमित कुमार दास, जो राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) के लिए प्रकट हुए, ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं, जो आरोप-पत्र के विभिन्न अनुच्छेदों से स्पष्ट होता है, अर्थात् अनुच्छेद संख्या 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.31, 17.32, 17.36 और 18.1। आगे, सह-आरोपी व्यक्तियों, जैसे आकाश कुमार रॉय @ आकाश रॉय @ मोनू और कुंदन कुमार, जिन्हें अपीलकर्ता द्वारा हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति में शामिल किया गया था, उनकी जमानत याचिकाएं क्रमशः दिनांक 13.02.2023 और 30.06.2023 को आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 1238 of 2022 और आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 298 of 2023 में खारिज कर दी गईं। यहाँ तक कि एक अन्य सह-आरोपी व्यक्ति, जिनके खिलाफ शरण देने का आरोप था, अर्थात् अजय टुरी, उनकी जमानत याचिका भी दिनांक 17.05.2023 को आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 133 of 2023 में खारिज कर दी गई, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता ने एसएलपी (SLP) दायर की, जो भी दिनांक 22.01.2024 को अपील के लिए "विशेष अनुमति अपील (आपराधिक) संख्या 16471/2023" में खारिज कर दी गई।

18. इस न्यायालय ने, विवादित आदेश की वैधता और उपयुक्तता पर विचार करने से पहले, यह उचित समझा कि पहले कुछ स्थापित विधि सिद्धांतों और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (जिसे यहाँ अधिनियम 1967 के रूप में

संदर्भित किया गया है) के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया जाए, जिन्हें यहाँ विचार करना आवश्यक है।

19. अधिनियम 1967 का मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना है। प्रस्तावना के अनुसार, अधिनियम 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए और इससे संबंधित मामलों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसलिए, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) का उद्देश्य भी कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करना है।

20. उक्त उद्देश्य और मंशा को प्राप्त करने के लिए, संसद ने अपनी सूझबूझ में यह प्रावधान किया है कि जहां एक संघ को धारा 3 के तहत जारी एक अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति, जो उस संघ का सदस्य है और बना रहता है, उसे 2 वर्षों तक के कारावास की सजा हो सकती है और उसे जुर्माने का भी दायित्व होगा।

21. 1967 के अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (एम) में "आतंकवादी संगठन" की परिभाषा दी गई है। इसे प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रथम अनुसूची में आइटम नंबर 34 पर CPI (माओवादी) सूचीबद्ध है। 1967 के अधिनियम के अध्याय III से विभिन्न अपराध शामिल किए गए हैं। अध्याय IV का शीर्षक है "आतंकवादी कृत्य के लिए सजा"। धारा 2 के उपखंड (के) में कहा गया है कि "आतंकवादी कृत्य" का अर्थ धारा 15 के तहत निर्दिष्ट है और आतंकवादी कृत्य में एक ऐसा कृत्य शामिल है जो दूसरे अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी संधि के दायरे में आता है।

22. इसके अलावा, अधिनियम 1967 की धारा 10(a)(i) में प्रावधान है कि जहां एक संघ को धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया गया है, जो उस धारा के उपखंड (3) के तहत प्रभावी हो गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, जो उस संघ का सदस्य बना रहता है, उसे 2 वर्षों तक के कारावास की सजा हो सकती है और उसे जुर्माने का भी दायित्व होगा। इसलिए, जब तक धारा 10(a)(i) प्रभावी रहती है, ऐसा व्यक्ति जो उस संघ का सदस्य है या बना रहता है, उसे सजा दी जा सकती है।

23. अधिनियम 1967 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति किसी गैरकानूनी गतिविधि में भाग लेता है, या उसे अंजाम देता है, या उसका समर्थन करता है, उकसाता है, सलाह देता है, या उसकी अभिप्रेरणा करता है, उसे सात वर्षों तक के कारावास की सजा हो सकती है और उसे जुर्माने का भी दायित्व हो सकता है।

24. इस संदर्भ में अधिनियम 1967 की धारा 43(d)(5) का मुख्य उद्देश्य है कि यदि अदालत को यह विश्वास होता है कि आरोप सही हैं, तो व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। अन्य अपराधों के अलावा, अपीलकर्ता पर धारा 17, 18 और 21 के तहत अपराधों का आरोप है।

25. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) 1967 की धारा 43D(5) के तहत नियमित जमानत के मामले में जो आवश्यकताएं हैं, वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय ने ***राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वताली [(2019) 5 एससीसी 1]*** में विचार की थीं। इस मामले में, न्यायालय ने धारा 43D(5) के तहत "prima facie true" (प्रथम दृष्टया सत्य) शब्द की व्याख्या की है। इसका मतलब है कि जांच एजेंसी द्वारा आरोपी के खिलाफ एकत्रित की गई सामग्री/साक्ष्य तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि वे अन्य साक्ष्यों द्वारा खारिज या अस्वीकार नहीं हो जाते। प्रथम दृष्टया, यह सामग्री आरोपी की संलिप्तता को साबित करती है। यह भी कहा गया है कि यह सामग्री उस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए जब तक कि उसे खारिज या अस्वीकार न किया जाए। इस प्रकार, अदालत का यह विश्वास कि आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं, आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक विश्वास से हल्का होता है।

26. इसके संदर्भ में, उपरोक्त निर्णय का अनुच्छेद 23 यहां उद्धृत किया जा सकता है:

> *"**23.** उप-धारा (5) के उपबंध के अनुसार, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप को प्रथम दृष्ट्या सत्य मानने के लिए उचित आधार हैं या नहीं। हमारा ध्यान इस न्यायालय के उन निर्णयों की ओर आकर्षित किया गया, जिनमें TADA और MCOCA जैसे विशेष प्रावधानों से संबंधित मामलों पर विचार किया गया था। उन निर्णयों के अंतर्निहित सिद्धांतों का 1967 अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में जमानत की प्रार्थना पर विचार करते समय भी कुछ प्रभाव हो सकता है। विशेष रूप से, TADA, MCOCA और मादक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 जैसे विशेष अधिनियमों के तहत, न्यायालय को यह राय रिकॉर्ड करनी होती है कि आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त 'निर्दोष'*

है, इस विश्वास के लिए उचित आधार हैं। न्यायालय द्वारा संतुष्टि के दो स्तरों में अंतर है: एक वह जब न्यायालय यह राय रिकॉर्ड करता है कि अभियुक्त उस अपराध का 'निर्दोष' है, और दूसरा वह जब 1967 अधिनियम के संदर्भ में न्यायालय इस बात की राय रिकॉर्ड करता है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप 'प्रथम दृष्ट्या सत्य' है। 'प्रथम दृष्ट्या सत्य' शब्द का तात्पर्य यह है कि आरोप के संबंध में जाँच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री/साक्ष्य, अन्य साक्ष्यों द्वारा खंडित और अस्वीकृत होने तक, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के अपराध में संलिप्तता को दर्शाता है। यह अपने आप में पर्याप्त होना चाहिए कि कोई दिए गए तथ्य या तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित कर सके जो उक्त अपराध का गठन करती हो, जब तक कि उसे खंडित या खंडन नहीं किया जाता। एक प्रकार से, जब न्यायालय को यह राय व्यक्त करनी होती है कि आरोप 'प्रथम दृष्ट्या सत्य' है, तो संतुष्टि का स्तर हल्का होता है, जबकि अन्य विशेष अधिनियमों के तहत अभियुक्त को 'निर्दोष' मानने के लिए राय व्यक्त करने की तुलना में। किसी भी स्थिति में, न्यायालय द्वारा यह राय रिकॉर्ड करने के लिए कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप 'प्रथम दृष्ट्या सत्य' है, संतुष्टि का स्तर उस स्तर से हल्का है जिसे छुट्टी आवेदन पर विचार करते समय या 1967 अधिनियम के तहत आरोप तय करने के संबंध में दर्ज किया जाता है।"

27. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ***राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली*** *(उपरोक्त)* मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि अदालत का कर्तव्य है कि वह आरोपी के खिलाफ मामले को स्थापित करने के लिए उपलब्ध सभी सामग्रियों की जांच करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

28. इसके अलावा, यह कानून का स्थिर सिद्धांत है कि जमानत देने या न देने के चरण में, अदालत से केवल व्यापक संभावनाओं के आधार पर आरोपी की कथित अपराध में संलिप्तता के बारे में निर्णय की उम्मीद की जाती है और इस चरण में सबूतों की गहन जांच या विवेचना की आवश्यकता नहीं होती।

29. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली*** *(उपर्युक्त)* मामले में यह स्पष्ट किया है कि इस चरण में सबूतों की विस्तृत जांच या विवेचना की आवश्यकता नहीं होती है, और अदालत से केवल व्यापक संभावनाओं के आधार पर यह तय करने की उम्मीद की जाती है कि आरोपी की कथित अपराध में संलिप्तता है या नहीं। इसके लिए, उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद 24 और 25 को यहां उद्धृत किया जा रहा है:

*"**24.** इस चरण में अदालत द्वारा कारण बताने का कार्य—जमानत देने या न देने के संबंध में—स्पष्ट रूप से साक्ष्यों के गुण-दोष पर चर्चा करने से अलग है। इस चरण में साक्ष्यों की विस्तृत जांच या विवेचना की आवश्यकता नहीं है। अदालत से केवल व्यापक संभावनाओं के आधार पर यह तय करने की उम्मीद की जाती है कि आरोपी की कथित अपराध में संलिप्तता है या नहीं।*

25. अपील की गई निर्णय का विश्लेषण करते समय, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों के गुण-दोष की जांच करने का क्षेत्र छुआ है। क्योंकि उसने यह नोट किया कि धारा 161 के तहत गवाहों के बयान के रूप में साक्ष्य स्वीकार्य नहीं हैं। इसके अलावा, जांच एजेंसी द्वारा उपयोग किए गए दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं थे। उसने यह भी नोट किया कि ऐसा नहीं लगता कि दस्तावेज़ 16-8-2017 तक गुलाम मोहम्मद भट्ट के निवास से बरामद किया गया था (निर्णय का अनुच्छेद 61)। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण पूरी तरह से धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए संरक्षित गवाहों के बयानों को खारिज कर देना, इस आधार पर कि यह बयान सील बंद लिफाफे में रखा गया था और उसे नामित न्यायालय द्वारा नहीं देखा गया था, और इस कारण से कि इस प्रकार के बयानों का उल्लेख चार्जशीट में नहीं था, हमारे विचार में यह इस दायित्व को पूरा करने में असफल रहा कि अदालत को यह राय दर्ज करनी चाहिए कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं या नहीं। यह राय अदालत को न केवल एफआईआर में लगाए गए आरोप के संदर्भ में बल्कि केस डायरी की सामग्री और चार्जशीट (धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) के अंतर्गत रिपोर्ट) और जांच एजेंसी द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए अन्य सामग्री के संदर्भ में भी बनानी चाहिए।"

30. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जमानत देने या न देने के चरण में अदालत द्वारा किए जाने वाले काम का उद्देश्य केवल आरोपों की व्यापक संभावनाओं के आधार पर आरोपी की कथित अपराध में संलिप्तता के संबंध में निर्णय लेना है, न कि साक्ष्यों के गुण-दोष की विस्तृत जांच करना।

31. इसके अलावा, अदालत का यह कर्तव्य है कि वह इस राय को दर्ज करे कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप *प्रथम दृष्टया* सत्य हैं या नहीं, और यह राय अदालत को न केवल एफ.आई.आर में लगाए गए आरोप के संदर्भ में बल्कि केस डायरी की सामग्री और चार्जशीट (धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) के अंतर्गत रिपोर्ट) और जांच एजेंसी द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए अन्य सामग्री के संदर्भ में भी बनानी चाहिए। इस संबंध में ***रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 5 SCC 294*** में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही के एक फैसले में ***गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2024 SCC OnLine SC 109)*** में ***राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद***

शाह वटाली *(उपर्युक्त)* के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह देखा कि धारा 43D के उपखंड (5) का प्रावधान विशेष न्यायालय की शक्तियों पर एक पूर्ण प्रतिबंध लगाता है कि वह किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करे, और यह निर्धारित करता है कि यदि अदालत *'केस डायरी या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत दी गई रिपोर्ट'* का अवलोकन करने पर यह मानने के लिए उचित आधार है कि अध्याय IV और/या अध्याय VI के तहत अपराध या अपराधों के संबंध में आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, तो ऐसे आरोपी को जमानत पर रिहा **नहीं किया जाएगा**।

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि जमानत के संबंध में सामान्य धारणा, जो साधारण दंडात्मक अपराधों के संदर्भ में होती है कि न्यायालयों का विवेक "जमानत नियम है, जेल अपवाद है" की ओर झुकना चाहिए—जब तक कि अन्यथा परिस्थितियाँ न्यायोचित न हों— गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत जमानत आवेदन के मामलों में लागू नहीं होती है, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत जमानत देने की सामान्य शक्ति का 'उपयोग' बहुत ही सीमित है।

34. उपरोक्त संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि अदालतों पर एक संवेदनशील कार्य का भार होता है, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत जमानत आवेदनों पर विचार करते समय, अदालतें केवल यह जांच रही होती हैं कि जमानत को अस्वीकार करने के लिए कोई औचित्य है या नहीं। यह 'औचित्य' केस डायरी और विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से तलाशे जाने चाहिए।

35. इस पृष्ठभूमि में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जमानत अस्वीकार करने के लिए परीक्षण काफी सरल है। यदि, लोक अभियोजक को सुनने और अंतिम रिपोर्ट या केस डायरी का अवलोकन करने के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोप प्रथम दृष्ट्या सत्य प्रतीत होते हैं, तो जमानत को 'नियम' के रूप में अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि यदि जमानत अस्वीकार करने के परीक्षण को पूरा नहीं किया जाता है, तब ही अदालतें जमानत आवेदन पर **'त्रिपाद परीक्षण' (फ्लाइट रिस्क, गवाहों को प्रभावित करना, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़)** के अनुसार निर्णय लेंगी।

36. संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णय के निम्नलिखित अनुच्छेदों को यहां उद्धृत किया जा रहा है:

*"27. धारा 43D के उपखंड (5) का साधारण पाठ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उपखंड (5) विशेष न्यायालय को आरोपी को जमानत पर रिहा करने से रोकता है, बिना आरोपी की जमानत पर रिहाई के लिए आवेदन पर लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए। धारा 43D के उपखंड (5) के अपवाद में, विशेष न्यायालय की शक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है कि वह किसी आरोपी को जमानत पर रिहा कर सके। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अदालत, 'केस डायरी या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत दी गई रिपोर्ट' का अवलोकन करने पर यह मानने के लिए उचित आधार है कि अध्याय IV और/या अध्याय VI के तहत अपराध या अपराधों के संबंध में आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, तो ऐसे आरोपी को जमानत पर रिहा **नहीं किया जाएगा**। यह ध्यान देने योग्य है कि किसी अन्य क़ानून में धारा 43D(5) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के समान कोई अन्य प्रावधान नहीं मिलता है। इस अर्थ में, जमानत की सीमा को अपनाने वाली भाषा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) में अद्वितीय रहती है।*

28. साधारण दंडात्मक अपराधों के संदर्भ में जमानत के न्यायशास्त्र में जो पारंपरिक विचार होता है कि अदालतों का विवेक 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' के पक्ष में झुकना चाहिए— जब तक कि अन्यथा परिस्थितियां उचित न हों—गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत जमानत आवेदनों पर विचार करते समय यह विचार लागू नहीं होता है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत जमानत देने की सामान्य शक्ति का 'उपयोग' बहुत ही सीमित है। धारा 43D(5) के अपवाद में प्रयुक्त शब्दों का रूप—'जमानत नहीं दी जाएगी'—जो धारा 437(1) CrPC में 'जमानत दी जा सकती है' के रूप से भिन्न है, यह इंगित करता है कि विधायिका ने जमानत को अपवाद और जेल को नियम बनाने का इरादा रखा है।

29. अदालतें, इसलिए, संवेदनशील कार्य के साथ बोझिल हैं। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत जमानत आवेदनों पर विचार करते समय, अदालतें केवल यह जांच रही होती हैं कि क्या जमानत अस्वीकार करने के लिए कोई औचित्य है। यह 'औचित्य' केस डायरी और विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से तलाशे जाने चाहिए। विधायिका ने एक निम्न, 'प्रथम दृष्टया' मानक निर्धारित किया है, जो अदालत द्वारा रिकॉर्ड किए जाने वाले संतोष की डिग्री का माप है जब वे 'औचित्य [रिकॉर्ड पर सामग्री]' की जांच कर रही होती हैं। इस मानक को 'मजबूत संदेह' के मानक के साथ तुलना की जा सकती है, जिसे अदालतें 'डिस्चार्ज के लिए आवेदन' सुनते समय उपयोग करती हैं।"

37. इस पृष्ठभूमि में, जमानत अस्वीकार करने के परीक्षण को सरल रूप से समझा जा सकता है। यदि लोक अभियोजक को सुनने और अंतिम रिपोर्ट या केस डायरी का अवलोकन करने के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोप प्रथम दृष्ट्या सत्य प्रतीत होते हैं, तो जमानत को 'नियम' के रूप में अस्वीकार किया जाना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब जमानत अस्वीकार करने के परीक्षण को पूरा नहीं किया जाता है कि अदालतें **'त्रिपाद परीक्षण' (फ्लाइट रिस्क, गवाहों को प्रभावित करना, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़)** के अनुसार जमानत आवेदन पर निर्णय लेंगी। यह स्थिति धारा 43D के उपखंड (6) द्वारा स्पष्ट की गई है, जो यह कहता है कि जमानत देने पर प्रतिबंध, जो उपखंड (5) में निर्दिष्ट हैं, वे दंड प्रक्रिया संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत जमानत देने पर लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा हैं।

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में धारा 43D(5) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के पाठ के आधार पर दिशानिर्देश तैयार किए, जिन्हें एक ***<u>द्वि-प्रांगण परीक्षण</u>*** ***<u>(twin-prong test)</u>*** के रूप में सारांशित किया गया। संदर्भ के लिए, संबंधित अनुच्छेद यहां उद्धृत किया जा रहा है:

> *"31. धारा 43D(5) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के पाठ के आधार पर, जमानत अदालत द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय किए जाने वाले परीक्षण को एक द्वि-प्रांगण परीक्षण के रूप में सारांशित किया जा सकता है:*
>
> *1) क्या जमानत अस्वीकार करने का परीक्षण पूरा होता है?*
>
> > *1.1 जाँच करें कि, प्रथम दृष्टया, क्या आरोप अध्याय IV या VI के तहत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत एक अपराध बनाते हैं?*
> >
> > *1.2 ऐसी जाँच केवल केस डायरी और धारा 173 CrPC के तहत प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट तक सीमित होनी चाहिए;*
>
> *2) क्या आरोपी को धारा 439 CrPC ('त्रिपाद परीक्षण') के तहत जमानत देने के सामान्य सिद्धांतों के प्रकाश में जमानत दी जानी चाहिए?"*

39. इस न्यायालय ने उपरोक्त कानून की स्थिति और अभियुक्त के खिलाफ एकत्रित तथ्यात्मक पहलू के आधार पर यह जांच करने का निर्णय लिया है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ आरोप *प्रथम दृष्ट्या* सत्य प्रतीत होते हैं, जो कि जाँच के दौरान एकत्रित सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को निर्दोष ठहराने की राय की तुलना में है।

40. रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि पूरक आरोप-पत्र का अंश, जो उत्तरदायी शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है, इसका हिस्सा है और इसे संलग्नक-A के रूप में जोड़ा गया है। पैराग्राफ 17.23 से यह प्रतीत होता है कि यह रिकॉर्ड पर आया है कि विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26) ["वर्तमान अपीलकर्ता"] ने जनवरी/फरवरी 2021 से जुलाई 2021 तक, एमपी और महाराष्ट्र से कई बार हथियार और गोला-बारूद प्राप्त किए और उन्हें आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27), कुंदन कुमार (A-28) और अन्य लोगों को अभिषेक के नाम से प्रदान किया। आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27), कुंदन कुमार (A-28) और अन्य ने ये हथियार और गोला-बारूद शाहरोख अंसारी, जो उस समय फरार आरोपी थे, और अन्य गैंग के सदस्यों को सौंप दिए। विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26) को विशेष सेल, दिल्ली पुलिस की एक टीम ने चोपड़ा, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया।

41. इसके अलावा, जैसा कि पूरक आरोप पत्र के पैराग्राफ 17.24 में संदर्भित किया गया है, यह खुलासा हुआ है कि आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27), कुंदन कुमार (A-28) ने अपराधी गिरोह की गतिविधियों के लिए रांची के नामकुम में एक फ्लैट का इंतजाम किया था। दोनों ने शाहरोख अंसारी, जो उस समय फरार आरोपी थे, को उस फ्लैट में सुरक्षित ठहराने की व्यवस्था की थी। इस फ्लैट में, आरोपी विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26) ने जून/जुलाई 2021 में उस फ्लैट का दौरा किया और वहां हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति की। 19.07.2021 को इस फ्लैट पर नामकुम पुलिस द्वारा छापा मारा गया और कुंदन कुमार (A-28) को विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26) द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। हालांकि, आरोपी शाहरोख अंसारी और आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27) इस फ्लैट से भागने में सफल रहे। नामकुम पुलिस द्वारा आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27), कुंदन (A-28) और अन्य के खिलाफ अलग से केस नं. 187/2021 दिनांक 19.07.2021 दर्ज किया गया। पैराग्राफ 17.26 से यह प्रतीत होता है कि कुंदन कुमार (A-28) ने शाहरोख अंसारी को रांची के रतु तालाब, रतु से प्राप्त किया और उन्हें नामकुम फ्लैट में उनके सुरक्षित ठहराने के लिए लाया ताकि उनकी आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। कुंदन कुमार (A-28) को सुजीत सिन्हा और अमन साहू गैंग को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था।

42. जाँच में आगे यह खुलासा हुआ है, जैसा कि पैराग्राफ 17.36 में संदर्भित किया गया है, जिसमें कुंदन कुमार (A-28) की संलिप्तता का उल्लेख किया गया है जो कि आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू के साथ देखा गया है। यह भी सामने आया है कि स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में फोटो पहचान प्रक्रिया के दौरान, संरक्षित गवाह "C" ने विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26) की फोटो की पहचान की और कहा कि जून/जुलाई 2021 में, उसने उसे आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू रॉय (A-27) और कुंदन कुमार (A-28) के साथ उक्त फ्लैट में देखा था। उसने इस तथ्य की भी पुष्टि की कि उसने पुलिस छापे से पहले नामकुम फ्लैट में उसे देखा था, यह व्यक्ति भी उक्त फ्लैट में आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू रॉय (A-27) और कुंदन कुमार (A-28) के साथ उपस्थित था। पैराग्राफ 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.31, 17.32, 17.36 और 18.1 को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है:

"17.22 जाँच के दौरान यह रिकॉर्ड पर आया है कि नवंबर 2020 के महीने में, ***अमन साहू के निर्देश पर, शाहरोख अंसारी ने आरोपी वसीम अंसारी के साथ रांची के रतु तालाब में अभिषेक सिंह (A-26) से 20 मोबाइल और 70,000/- रुपये प्राप्त किए। इसके अलावा, अमन साहू के निर्देश पर, अभिषेक सिंह (A-26) ने शाहरोख अंसारी (A-21) को तीन पिस्तौल, दो एकल शॉट देशी कट्टा और 20 राउंड प्रत्येक के साथ 50,000/- रुपये नकद प्रदान किए। यह सब रांची के रतु तालाब में टेटरीयाखड़ में गोलीबारी और आगजनी को अंजाम देने के लिए किया गया था। विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26) ने यह कहा कि अमन साहू के निर्देश पर, उसने लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान किया और 2019 से गैंग को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति कर रहा था।***

17.23 जाँच के दौरान यह रिकॉर्ड पर आया है कि ***विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26) ने जनवरी/फरवरी 2021 से जुलाई 2021 तक एमपी और महाराष्ट्र से कई बार हथियार और गोला-बारूद प्राप्त किए और उन्हें आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27), कुंदन कुमार (A-28) और अन्य को अभिषेक के नाम से प्रदान किया।*** *आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27), कुंदन कुमार (A-28) ने ये हथियार और गोला-बारूद शाहरोख अंसारी, जो उस समय फरार आरोपी थे, और अन्य गैंग के सदस्यों को सौंप दिए।* ***विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26) को विशेष सेल, दिल्ली पुलिस की एक टीम ने चोपड़ा, महाराष्ट्र से 26.08.2021 को केस नं. 225/2021 में 20 अर्ध-स्वचालित/देशी पिस्तौल, 50 जिंदा राउंड, एक शाओमी(Xiaomi) स्मार्टफोन और 02 एयरटेल सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया।"***

17.24 जांच में यह खुलासा हुआ कि ***आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27) और कुंदन कुमार (A-28) ने आतंकवादी गिरोह की आपराधिक गतिविधियों के लिए रांची के नामकुम में एक फ्लैट का इंतजाम किया।*** *दोनों ने इस फ्लैट में फरार आरोपी शाहरोख अंसारी को सुरक्षित रहने की व्यवस्था की थी। इस फ्लैट में आरोपी* ***विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26) ने***

जून/जुलाई 2021 के दौरान दौरा किया और वहां हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति की। *19.07.2021 को* ***इस फ्लैट पर नामकुम पुलिस द्वारा छापा मारा गया और कुंदन कुमार (A-28) को विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26)*** *द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। शाहरोख अंसारी और आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27) इस फ्लैट से भागने में सफल रहे। नामकुम पुलिस द्वारा आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27), कुंदन (A-28) और अन्य के खिलाफ एक अलग केस नं. 187/2021 दिनांक 19.07.2021 दर्ज किया गया।*

17.25 *जांच में यह खुलासा हुआ कि आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27) ने कहा कि वह रांची के जेल मोर में फूड वैली रेस्टोरेंट चलाते समय सुजीत सिन्हा के संपर्क में आया। 2017 में, उसे हजारीबाग जेल से सुजीत सिन्हा से एक व्हाट्सएप कॉल मिली, जिसमें सुजीत सिन्हा ने उसे अपनी पत्नी रिया सिन्हा को जेल में मुलाकात के लिए लाने का अनुरोध किया। इस प्रक्रिया के दौरान, सुजीत सिन्हा ने उसे अपने साथ काम करने और उसके नाम पर वसूली करने के लिए कहा। इस उद्देश्य के लिए, आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू (A-27) ने जमशेदपुर से सिम कार्ड का इंतजाम किया और उन्हें गैंग के सदस्यों के बीच बांटा। इसके बाद, उसने अन्य गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर पलामू और डाल्टनगंज के व्यापारियों से वसूली की मांग की। पलामू एजेंसी के मालिक की शिकायत पर उसे पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2019 में भी उसे जमशेदपुर पुलिस ने जाली सिम कार्ड मामले में गिरफ्तार किया, जो उसने वसूली के लिए इंतजाम किए थे।*

17.32 *जांच में यह खुलासा हुआ कि* ***विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26) टेटरीयाखाड़ घटना के बाद इस आतंकवादी गिरोह को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति के लिए एयरटेल मोबाइल नंबर 8862822874 और 8116049395 का उपयोग कर रहा था।*** *इन मोबाइल नंबरों का कॉल डेटा सेवा प्रदाता से प्राप्त किया गया।* ***विश्लेषण के दौरान, इन मोबाइल नंबरों के कॉल डेटा के अनुसार उसकी लोकेशन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जनवरी/फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त 2021 में पाई गई, जब तक कि उसे चोपड़ा, महाराष्ट्र में विशेष सेल, दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार नहीं किया गया।***

17.36 *जांच के दौरान, रिकॉर्ड पर आया कि संरक्षित गवाह "C" ने बताया कि आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू रॉय (A-27) और कुंदन कुमार (A-28) ने नामकुम, रांची में एक फ्लैट जाली आईडी प्रमाण पर लिया। उसने आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू रॉय (A-27) और कुंदन कुमार (A-28) के साथ अन्य व्यक्तियों को इस फ्लैट में देखा। फोटो पहचान प्रक्रिया के दौरान, स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में,* ***संरक्षित गवाह "C" ने विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26) की फोटो की पहचान की और कहा कि जून/जुलाई 2021 में उसने उसे आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू रॉय (A-27) और कुंदन कुमार (A-28) के साथ उक्त फ्लैट में देखा था।*** *उसने शाहरोख अंसारी की फोटो की भी पहचान की और कहा कि उसने पुलिस छापे से पहले उसे इस फ्लैट*

में देखा था, और यह व्यक्ति भी उक्त फ्लैट में आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू रॉय (A-27) और कुंदन कुमार (A-28) के साथ उपस्थित था।

17.38 *जांच के दौरान, एसएफएसएल, रांची की विस्फोटक अनुभाग की रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें आतंकवादी स्थल पर विस्फोटित बम में नाइट्रोसेल्यूलोज़, नाइट्रोग्लिसरीन, और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अमोनियम नाइट्रेट की उच्च विस्फोटक मिश्रण की उपस्थिति स्थापित हुई। अपराध स्थल से बरामद किए गए बिजली के तार भी कार्यशील अवस्था में पाए गए, जिन्हें विद्युत सर्किट में उपयोग किया जा सकता है। ट्रकों के छेद के निशान से प्राप्त किए गए स्वैब के विश्लेषण में भी लीड और कॉपर की उपस्थिति की पुष्टि हुई, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि छेद गोलीबारी के दौरान गोली के प्रभाव के कारण हुए थे।*

18. आरोप:

18.1 जांच में यह रिकॉर्ड पर आया कि पंकज कर्माली उर्फ खेतिन (A-23), ***विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक (A-26),*** *आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू रॉय (A-27) और कुंदन कुमार (A-28) अन्य ज्ञात और* ***अज्ञात आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल पाए गए, जिन्होंने एक आतंकवादी गिरोह बनाकर घातक हथियारों से दंगा, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कर्मियों पर हमला, हत्या का प्रयास, आगजनी और विस्फोटक पदार्थों के उपयोग से शरारत, धन की वसूली, भगोड़े को शरण देना, आग्नेयास्त्रों की आपूर्ति, आग्नेयास्त्रों का कब्जा और उपयोग, विस्फोट और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया।*** *उन्होंने उनके खिलाफ लगाए गए विभिन्न कानूनों की धाराओं के तहत अपराध किए हैं और इस प्रकार आरोपित हैं:*

A-26 - विकाश आनंद ओझा उर्फ अभिषेक, पुत्र स्वर्गीय लोकनाथ ओझा

धारा के तहत आरोपित:

भारतीय दंड संहिता की धारा 120B सहपठित 212, 384 और IPC की धारा 120B सहपठित 25(1)(B), 26 के साथ, और यूएपीए अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18, 19, 20 के तहत।

43. उपरोक्त पैराग्राफ़ों में उद्धृत किए गए तथ्यों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि जांच के दौरान यह सामने आया कि अमन साहू के निर्देश पर शाहरुख़ अंसारी, वसीम अंसारी के साथ, अभिषेक सिंह (ए-26) से रतू तालाब, रांची में 20 मोबाइल और 70,000/- रुपये प्राप्त किए। इसके अलावा, अमन साहू के निर्देश पर, अभिषेक सिंह (ए-26) ने शाहरुख़ अंसारी (ए-21) को टेटरिया खाड़, रतू तालाब, रांची में गोलीबारी और आगज़नी के लिए तीन पिस्तौल, दो सिंगल शॉट देशी कट्टे, जिनमें से प्रत्येक के साथ 20 राउंड, और 50,000/- रुपये नकद प्रदान किए। विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (ए-26) ने यह बताया कि वह

अमन साहू के निर्देश पर लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करता था और 2019 से इस गैंग को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति कर रहा था। आगे की जांच में यह सामने आया कि जनवरी/फरवरी 2021 से जुलाई 2021 तक, विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (ए-26) ने एमपी और महाराष्ट्र से कई बार हथियार और गोला-बारूद प्राप्त किया और इसे आकाश कुमार रॉय @ मोनू (ए-27), कुंदन कुमार (ए-28) और अन्य को अभिषेक के नाम पर प्रदान किया। जांच में आगे यह भी सामने आया कि विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (ए-26) (अपीलकर्ता) को विशेष सेल, दिल्ली पुलिस की एक टीम ने महाराष्ट्र के चोपड़ा से 26.08.2021 को अपने केस नंबर 225/2021 के तहत 20 अर्ध-स्वचालित/देशी पिस्तौल, 50 जीवित राउंड, एक शाओमी स्मार्टफोन और 02 एयरटेल सिम कार्ड के साथ गिरफ़्तार किया। आरोपी आकाश कुमार रॉय @ मोनू (ए-27), कुंदन कुमार (ए-28) ने भी आतंकवादी गैंग की आपराधिक गतिविधियों के लिए नामकुम (रांची) में एक फ्लैट का इंतजाम किया, जहाँ जून/जुलाई 2021 में अपीलकर्ता विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (ए-26) ने हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति की। 19.07.2021 को इस फ्लैट पर नामकुम पुलिस स्टेशन की पुलिस ने छापा मारा और कुंदन कुमार (ए-28) को विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (ए-26) द्वारा आपूर्ति किए गए हथियार और गोला-बारूद के साथ गिरफ़्तार किया। जांच में आगे पता चला कि विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (ए-26) टेटरिया खाड़ घटना के बाद एयरटेल मोबाइल नंबर 8862822874 और 8116049395 का इस्तेमाल कर इस आतंकवादी गैंग को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति कर रहा था। उक्त मोबाइल नंबरों के कॉल डेटा के विश्लेषण से यह पता चला कि वह जनवरी/फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त 2021 में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश गया था, जब तक कि उसे विशेष सेल, दिल्ली पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के चोपड़ा से हथियार और गोला-बारूद के साथ गिरफ़्तार नहीं किया गया। जांच के दौरान यह रिकॉर्ड पर आया कि संरक्षित गवाह "सी" ने विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (ए-26) की फ़ोटो की पहचान की और कहा कि जून/जुलाई 2021 में उसने उसे आकाश कुमार रॉय @ मोनू रॉय (ए-27) और कुंदन कुमार (ए-28) के साथ उक्त फ्लैट में देखा। उपरोक्त आरोपों के आधार पर आरोपी विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (ए-26) को अन्य ज्ञात और अज्ञात आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल पाया गया, जिन पर आतंकवादी गैंग बनाना, घातक हथियारों के साथ दंगा करना, सरकारी कार्य में बाधा डालना, सरकारी कर्मियों पर हमला करना, हत्या का प्रयास, आगजनी और विस्फोटक पदार्थों का उपयोग,

धन की वसूली, फरार अभियुक्तों को आश्रय देना, आग्नेयास्त्रों की आपूर्ति करना, आग्नेयास्त्रों का कब्ज़ा और उपयोग करना, विस्फोट करना और आतंकवादी कृत्य करना आदि आरोप लगे और उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।

44. अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क जोरदार ढंग से दिया गया है कि निर्धारित अपराध में अपीलकर्ता की विशिष्ट संलिप्तता नहीं है और वर्तमान मामले में उसे इसलिए फंसाया गया है क्योंकि वह दिल्ली में हथियार आपूर्ति से संबंधित मामले में शामिल पाया गया था, लेकिन उक्त मामले में उसे जमानत मिल चुकी है।

45. उपरोक्त संदर्भ में, विशेष रूप से 1967 के अधिनियम की धारा 43D (5) के प्रावधान को पुनः देखने की आवश्यकता है, जिसे नियमित जमानत देने के आदेश की वैधता और शुद्धता की जांच करने से पहले विचार करना आवश्यक है।

46. धारा 43D (5) यह अनिवार्य करती है कि यदि न्यायालय इस राय का है कि लगाए गए आरोप *प्रथम दृष्टया* सही प्रतीत होते हैं, तो व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य अपराधों के अलावा अपीलकर्ता पर यूए(पी) अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18 और 21 के तहत अपराध करने का भी आरोप है।

47. यूए(पी) अधिनियम, 1967 की धारा 43D(5) के तहत नियमित जमानत देने के मामले में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद समग्र सामग्री का अध्ययन करे कि आरोपी के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है या नहीं।

48. आगे, चूंकि अपीलकर्ता के वकील ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए इस आदेश में हस्तक्षेप करने की मांग की है, इसलिए इस न्यायालय को उचित और उपयुक्त लगता है कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा संदर्भित निर्णयों का अध्ययन किया जाए:

49. पहला निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब [उपरोक्त]*** के मामले में दिया गया है। अपीलकर्ता के वकील ने अपने तर्क के समर्थन में ***के.ए. नजीब (उपरोक्त)*** मामले का हवाला दिया है कि अपीलकर्ता 18.12.2021 से जेल में है, जो उपरोक्त मामले में दिए गए विधि के विपरीत है। हालांकि यह तर्क

पहली नज़र में प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन इसमें गहराई और ठोसता का अभाव है।

50. के.ए. नजीब (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसी स्थिति का सामना किया जहां उत्तरदाता-अभियुक्त को छोड़कर, अन्य सह-अभियुक्तों ने पहले ही मुकदमा पूरा कर लिया था और उन्हें आठ साल से अधिक की सजा नहीं दी गई थी। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाता-अभियुक्त ने पहले ही अधिकतम सजा का हिस्सा, यानी पांच साल से अधिक, भुगत लिया है, जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।

51. इसके अलावा, ***के.ए. नजीब के मामले*** में उत्तरदाता-अभियुक्त का मुकदमा अन्य सह-अभियुक्तों से अलग कर दिया गया था क्योंकि वह फरार था और उसे 2015 में पकड़ा गया था और उसके बाद उसे अलग से मुकदमा चलाया जा रहा था और एनआईए ने उस अभियुक्त के संदर्भ में गवाहों की लंबी सूची पेश की थी, जिन्हें अभी भी जांचना बाकी था। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की संभावना नहीं होने के दृष्टिकोण से जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि, वर्तमान मामला तथ्य और परिस्थितियों में भिन्न है, इसलिए अपीलकर्ता के वकील द्वारा संदर्भित निर्णय यहां लागू नहीं होगा।

52. दूसरा निर्णय ***जाहिर हक बनाम राजस्थान राज्य [उपरोक्त]*** के मामले में है। यह तथ्य से स्पष्ट है कि संबंधित अपीलकर्ता को इस आधार पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था कि वह लगभग 8 साल की अवधि के लिए हिरासत में था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 8 साल की हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि अपीलकर्ता पर कुछ अपराधों का आरोप है, जिनकी न्यूनतम सजा 10 साल की है और सजा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है, उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए और यह मुद्दा कि क्या अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप *प्रथम दृष्ट्या* सही है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कि धारा 43D(5) के तहत दोषसिद्धि आकर्षित होती है या नहीं। उक्त मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ मामला इस तथ्य पर आधारित था कि उसे एक आरोपी के संपर्क में पाया गया था, जिसे कथित तौर पर 31 मौकों पर उस आरोपी के साथ बातचीत में संलग्न होने के आरोप के आधार पर साबित किया गया था, जो उसका सह-गांववासी था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहां लगाए

गए आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और 8 साल की हिरासत की अवधि को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त मामले में अपीलकर्ता *जाहिर हक* के खिलाफ लगाए गए आरोप को *प्रथम दृष्टया* सत्य नहीं कहा जा सकता है और इसलिए धारा 43D(5) के तहत दोषसिद्धि के दृष्टिकोण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य नहीं है और अपीलकर्ता को 8 साल की हिरासत में रहने के कारण उक्त अभियुक्त को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया। निर्णय के संबंधित पैराग्राफ़ का यहां संदर्भ दिया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:

> *"**11.** इस संबंध में, अपीलकर्ता के खिलाफ मामला बड़े पैमाने पर इस तथ्य पर आधारित है कि उसे एक आरोपी के संपर्क में पाया गया था, जिसे उसके सह-गांववासी के साथ 31 मौकों पर बातचीत में संलग्न होने के आरोप के आधार पर साबित किया गया था। उत्तरदाता के अनुसार, उक्त आरोपी भारतीय मुजाहिदीन के एक स्लीपर सेल मॉड्यूल का प्रमुख है।*
>
> ***12.** हम इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हैं जो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 में रिपोर्ट किया गया है। इसमें, निम्नलिखित टिप्पणियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है:*
>
> *"12. यहां तक कि विशेष विधियों जैसे कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 या नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) जिसमें जमानत देने के लिए कुछ कठोर शर्तें भी हैं, इस न्यायालय ने परमजीत सिंह बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) [परमजीत सिंह बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (1999) 9 एससीसी 252 : 1999 एससीसी (क्रि) 1156], बब्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य [बब्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2005) 11 एससीसी 569 : (2006) 2 एससीसी (क्रि) 118] और उमरमिया बनाम गुजरात राज्य [उमरमिया बनाम गुजरात राज्य, (2017) 2 एससीसी 731 : (2017) 2 एससीसी (क्रि) 114] में जमानत पर अभियुक्तों को रिहा किया जब वे लंबे समय तक जेल में थे और मुकदमा शीघ्र पूरा होने की संभावना कम थी। इस प्रकार की विशेष विधियों में जमानत की कठोर शर्तों की संवैधानिकता को मुख्य रूप से शीघ्र मुकदमे के आधार पर निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित ठहराया गया है।*
>
> *19. हमें उत्तरदाता को जमानत पर रिहा करने के लिए और एक कारण यह भी प्रेरित करता है कि यूएपीए की धारा 43-D(5) एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की तुलना में अपेक्षाकृत कम कठोर है। एनडीपीएस एक्ट के विपरीत, जहां सक्षम न्यायालय को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि अभियुक्त प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए वह कोई और अपराध करने की संभावना नहीं है; यूएपीए के तहत ऐसा कोई पूर्व शर्त*

नहीं है। इसके बजाय, यूएपीए की धारा 43-D(5) केवल एक और संभावित आधार प्रदान करती है कि सक्षम न्यायालय जमानत से इनकार कर सकता है, इसके अलावा अच्छी तरह से स्थापित विचार जैसे कि अपराध की गंभीरता, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना, गवाहों को प्रभावित करने या अभियुक्त द्वारा मुकदमे से बचने के अवसर, आदि।"

***13.** इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त मामले में, जैसा कि राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने बताया, न्यायालय एक उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के आदेश से संबंधित था, जबकि इस मामले में इसके विपरीत स्थिति है, यानी विवादित आदेश एक ऐसा आदेश है जिसमें जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता पहले ही लगभग 8 वर्षों से एक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता पर ऐसे अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिनमें से कुछ के लिए न्यूनतम सजा 10 वर्ष है और सजा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। अपीलकर्ता के वकील ने यह भी बताया कि एक सह-अभियुक्त, अर्थात् श्री आदिल अंसारी को इस न्यायालय द्वारा 30.09.2020 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस संबंध में, हम राज्य के इस तर्क को ध्यान में रखते हैं कि उक्त अभियुक्त को अलग भूमिका सौंपी गई थी।*

***14.** 1967 के अधिनियम की धारा 43D(5) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 में निहित प्रावधानों की तुलना में कम कठोर समझा गया है, जैसा कि हमने पहले ही देखा है। हमारा मानना है कि अपीलकर्ता के खिलाफ मामले की प्रकृति, पहले से ही सामने आ चुके साक्ष्यों और सबसे बढ़कर, अपीलकर्ता द्वारा पहले ही भुगती गई लंबी अवधि की कैद को ध्यान में रखते हुए, अब समय आ गया है कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए। हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि अभियोजन पक्ष 109 गवाहों को पेश करने का प्रयास कर रहा है, जिनमें से अब तक केवल 6 गवाहों की पूरी तरह से जाँच की गई है। तदनुसार, हम अपील को स्वीकार करते हैं, विवादित आदेश को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए, जो कि परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन होगा।"*

53. येदाला सुब्बा राव & अन्र. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [उपरोक्त] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 के अधिनियम की धारा 43D(5) के प्रभाव को ध्यान में रखा और उपरोक्त मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, जिसमें स्वीकारोक्ति के आधार पर मामले का आरोप लगाया गया था, लेकिन उस स्वीकारोक्ति से कोई बरामदगी नहीं हुई थी। इसलिए, 1967 के अधिनियम की धारा 43D(5) के तहत निर्धारित सिद्धांत को

लागू करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उक्त मामले के अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को प्रथम दृष्टया सत्य नहीं कहा जा सकता।

54. केखियासातुओ टेप & अन्य बनाम नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी [उपरोक्त] के मामले में, जो इस तथ्य की पृष्ठभूमि में है कि प्रथम दृष्टि न्यायालय ने जमानत का विशेषाधिकार दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपील के अधिकार का प्रयोग करते हुए उस आदेश को पलट दिया, जिसके खिलाफ मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और वहां निर्णय दिया गया। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जब अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप था कि वे संगठन के पदाधिकारी थे जो नियमित रूप से विभिन्न सरकारी सेवकों और अन्य व्यक्तियों से धन उगाही करते थे। विशेष न्यायाधीश ने जमानत का विशेषाधिकार देते हुए कहा कि न्यायालय को उन लोगों के बीच अंतर करना चाहिए जो स्वेच्छा से धन उगाही करते हैं और जो मजबूरी में धन उगाही का भुगतान करने के लिए बाध्य होते हैं। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में असमर्थ रहा कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से विभिन्न गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराया था और उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत दी गई, लेकिन उच्च न्यायालय ने यह दर्ज करते हुए कि अभियुक्त ने 43D(5) की धारा के संदर्भ में अपराध किया है, जमानत का प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती थी।

55. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखा कि एक बार जब प्रथम दृष्टि न्यायालय ने अपीलकर्ता को स्वतंत्रता का लाभ दिया था, तो उसे केवल तभी उलटा जा सकता है जब प्रथम दृष्टि न्यायालय द्वारा दर्ज की गई निष्कर्ष या तो विकृत हो या असंभव हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त सीमित आधार पर अपील को स्वीकार किया और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

56. वर्नोन बनाम महाराष्ट्र राज्य & अन्न. [उपरोक्त], के मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किए गए पत्र, बयान, विभिन्न साहित्य, किताबें आदि का उल्लेख किया गया है, जो अपीलकर्ता के निवास से बरामद होने का दावा किया गया था। उस साहित्य में मुख्य रूप से भारत में चरम वामपंथी विचारधारा पर लिखी गई रचनाएं शामिल थीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एजेंसी द्वारा ऐसा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अपीलकर्ता को आतंकवादी कृत्यों और अन्य अपराधों में शामिल करता हो, सिवाय

उन पत्रों के जिन पर एजेंसी द्वारा जोर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य के आधार पर यह तर्क दिया कि केवल एक स्क्रिप्ट लिखने से यूएपीए अधिनियम के दंडात्मक अपराध को आकर्षित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि आरोप को *प्रथम दृष्टया* सत्य नहीं कहा जा सकता।

57. लेकिन मौजूदा मामले में चार्जशीट में दिखाया गया है कि आरोप पत्र में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि अपीलकर्ता ने प्रतिबंधित संगठन को हथियार और गोला-बारूद के रूप में लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी। इसलिए, उपरोक्त मामलों में दिए गए निर्णय का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं हो सकता।

58. इन सभी निर्णयों, जिन पर भरोसा किया गया है, का उल्लेख पहले किया गया है। यह सभी निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम ज़हूर अहमद शाह वाटाली (उपरोक्त)*** के मामले में निर्धारित सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसने मुख्य रूप से 1967 के यूएपीए अधिनियम की धारा 43-D(5) के प्रभाव पर विचार किया है।

59. धारा 43-D(5) में जमानत देने के लिए यह शर्त है कि अगर लगाए गए आरोप *प्रथम दृष्टया* असत्य पाए जाते हैं, तो उस आधार पर कारण रिकॉर्ड करते हुए संबंधित व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत, अगर संबंधित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि लगाए गए आरोप *प्रथम दृष्टया* सत्य हैं, तो अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

60. अब यह न्यायालय अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्क की जांच करने जा रहा है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांत और अपीलकर्ता के वकील द्वारा संदर्भित निर्णय की प्रासंगिकता पर आधारित है।

61. चार्जशीट के पैराग्राफ 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.31, 17.32, 17.36 और 18.1 से यह स्पष्ट है कि जांच के दौरान विशिष्ट आरोप सामने आए हैं, जो इस प्रकार हैं:

> **I.** अमन साहू के निर्देश पर, शाहरुख अंसारी ने वसीम अंसारी (कनभीता) के साथ रांची के रतु तालाब से अभिषेक सिंह (A-26) से 20 मोबाइल और ₹70,000/- प्राप्त किए। इसके अलावा, अमन साहू के निर्देश पर, अभिषेक सिंह (A-26) ने तीन पिस्तौल, दो एकल शॉट देशी कट्टे और प्रत्येक के 20 राउंड के साथ ₹50,000/- नकद शाहरुख अंसारी (A-21) को टेटरिया खाड़, रांची में आगजनी और गोलीबारी के लिए प्रदान किए। विकास आनंद

ओझा @ अभिषेक (A-26) ने बयान दिया कि अमन साहू के निर्देश पर, उसने लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान किया और 2019 से गैंग को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति कर रहा था।

II. जांच के दौरान, यह रिकॉर्ड में आया कि विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (A-26) ने जनवरी/फरवरी 2021 से जुलाई 2021 तक, एमपी और महाराष्ट्र से कई बार हथियार और गोला-बारूद प्राप्त किया और अभिषेक के नाम पर आकाश कुमार रॉय @ मोनू (A-27), कुंदन कुमार (A-28) और अन्य को प्रदान किया। विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (A-26) को दिल्ली पुलिस की विशेष टीम द्वारा महाराष्ट्र के चोपड़ा से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 20 सेमी-ऑटोमेटिक/देशी पिस्तौल, 50 जिंदा गोलियां, एक Xiaomi स्मार्टफोन और 02 एयरटेल सिम कार्ड मिले।

III. जांच में यह भी पता चला कि आकाश कुमार रॉय @ मोनू (A-27), कुंदन कुमार (A-28) ने नामकुम (रांची) में आतंकवादी गैंग की गतिविधियों के लिए एक फ्लैट की व्यवस्था की थी। इस फ्लैट में, आरोपी विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (A-26) जून/जुलाई 2021 में आया था और उसने अपने दौरे के दौरान वहां हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति की थी। 19.07.2021 को इस फ्लैट पर नामकुम पुलिस द्वारा छापा मारा गया और कुंदन कुमार (A-28) को विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (A-26) द्वारा आपूर्ति किए गए हथियार और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया।

IV. जांच से पता चला कि विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (A-26) टेटरिया खाड़ की घटना के बाद आतंकवादी गैंग को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति के लिए एयरटेल मोबाइल नंबर 8862822874 और 8116049395 का उपयोग कर रहा था। उक्त मोबाइल नंबरों के कॉल डेटा के अनुसार, उसकी लोकेशन यह दर्शाती है कि उसने जनवरी/फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त 2021 में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की यात्रा की थी और दिल्ली पुलिस की विशेष टीम द्वारा उसे चोपड़ा, महाराष्ट्र से हथियार और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था।

V. संरक्षित गवाह "सी" ने विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (A-26) की तस्वीर की पहचान की और कहा कि जून/जुलाई 2021 के महीने में उन्होंने उसे आकाश कुमार रॉय @ मोनू रॉय (A-27) और कुंदन कुमार (A-28) के साथ उक्त फ्लैट में देखा था।

VI. तदनुसार, आरोप पत्र में यह कहा गया कि आरोपी-विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (A-26) को आतंकवादी गैंग बनाने, घातक हथियारों से दंगा करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, हत्या के प्रयास, विस्फोटक सामग्री द्वारा

आगजनी, धन की उगाही, भगोड़े को पनाह देने, हथियारों की आपूर्ति करने, हथियार रखने और उपयोग करने, विस्फोट करने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल पाया गया है।

62. इसलिए, जो तर्क प्रस्तुत किया गया है वह 1967 के अधिनियम की धारा 43-D(5) के प्रावधानों और उन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर आधारित है, जिनका अपीलकर्ता के वकील ने उल्लेख किया है। इस अदालत का मानना है कि जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, वे विभिन्न तथ्यों पर आधारित हैं।

63. यह एक स्थिर विधिक सिद्धांत है कि किसी निर्णय की प्रासंगिकता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है और किसी निर्णय का सार्वभौमिक उपयोग नहीं हो सकता। बल्कि प्रत्येक निर्णय को प्रत्येक मामले के तथ्य के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ***डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (2014) 5 एससीसी 75*** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। संबंधित पैराग्राफ को यहां उद्धृत किया जा रहा है:

> *"47. यह एक स्थिर विधिक सिद्धांत है कि किसी भी निर्णय के सिद्धांत को उस मामले के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए और वह मामला केवल उसी के लिए एक अधिकार है जो वास्तव में वह तय करता है, न कि जो उससे तर्कसंगत रूप से निकलता है। अदालत को बिना इस बात पर चर्चा किए कि जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, उसकी तथ्यात्मक स्थिति निर्णय की स्थिति के साथ कैसे मेल खाती है, निर्णयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।"*

64. इस प्रकार, इस अदालत का मानना है कि जांच के दौरान जो आरोप लगाए गए हैं, वे सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति से संबंधित हैं, जो इस मामले में एनआईए द्वारा जांच किए जाने के बाद आरोपित किए गए हैं।

65. जांच एजेंसी ने सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर खुलासा किया है कि वर्तमान अपीलकर्ता, विकास आनंद ओझा @ अभिषेक (A-26) ने जनवरी/फरवरी 2021 से जुलाई 2021 तक एमपी और महाराष्ट्र से कई बार हथियार और गोला-बारूद प्राप्त किए और उन्हें आकाश कुमार रॉय @ मोनू (A-27), कुंदन कुमार (A-28) और अन्य को अभिषेक के नाम पर उपलब्ध कराया।

66. एनआईए ने इस स्वीकारोक्ति के आधार पर दिल्ली में लंबित मामले के बारे में जानकारी प्राप्त की, जहां से वर्तमान अपीलकर्ता को इस मामले में रिमांड किया गया है।

67. उसी मामले में, जो दिल्ली में दायर किया गया था, हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए थे, जिन्हें एमपी और महाराष्ट्र से आपूर्ति की गई थी और आकाश कुमार रॉय @ मोनू (A-27), कुंदन कुमार (A-28) और अन्य को अभिषेक के नाम पर उपलब्ध कराया गया था। अपीलकर्ता को उक्त मामले से रिमांड किया गया था और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अपीलकर्ता के इस आचरण की पुष्टि अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् आकाश कुमार रॉय @ मोनू (A-27), कुंदन कुमार (A-28) के बयानों से होती है, जिन्हें हथियार आपूर्ति किए जाते थे। इतना ही नहीं, अपीलकर्ता अमन साहू गैंग, जो झारखंड राज्य में प्रतिबंधित गैंग है, को भी हथियारों की आपूर्ति में शामिल था।

68. यह स्पष्ट है कि इस अदालत द्वारा आरोपों की जांच के दौरान यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलकर्ता के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे *प्रथम दृष्ट्या* असत्य हैं। बल्कि इस अदालत का मानना है कि आरोप *प्रथम दृष्ट्या* सत्य होने के लिए पर्याप्त हैं।

69. इसलिए, इस अदालत का मानना है कि 1967 के अधिनियम की धारा 43-D(5) में निहित वैधानिक प्रावधान और ***राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम ज़हूर अहमद शाह वाटाली*** (उपरोक्त) और **गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की व्याख्या को लागू करते हुए, यह तर्क कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप *प्रथम दृष्ट्या* सत्य नहीं हैं, का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, जिन आकाश कुमार रॉय @ मोनू और कुंदन कुमार को अपीलकर्ता द्वारा हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति की गई थी, उनकी जमानत याचिकाएं क्रमशः 13.02.2023 और 30.06.2023 को क्रमशः आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 1238 of 2022 और आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 298 of 2023 में खारिज कर दी गई थीं। इन आदेशों की प्रतियां अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न हैं।

70. एनआईए के अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है कि सह-आरोपी व्यक्तियों में से एक, अर्थात् अजय तुरी, जिसके खिलाफ आरोप था कि उसने टेटारियाख में आतंकवादी घटना के लिए इलेक्ट्रिक तार, मोटरसाइकिल बैटरी और पेट्रोल की व्यवस्था की थी और जिसे प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों को दिया गया था, ने भी जमानत के लिए याचिका

दायर की थी, जिसे प्रथम दृष्टया अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था, और जिसके खिलाफ आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 133 of 2023 में अपील दायर की गई थी।

71. इस अदालत ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए उक्त अपील को खारिज कर दिया है।

72. इसके अलावा यह भी सूचित किया गया है कि अजय तुरी ने इस अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति अपील (आपराधिक) संख्या 16471/2023 दायर की थी, जिसे 22.01.2024 को खारिज कर दिया गया था। इसकी एक प्रति हमारे समक्ष रखी गई है।

73. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्यों द्वारा समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल था और विभिन्न चैनलों के माध्यम से हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति में शामिल था, जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए, ऐसे परिदृश्य में यदि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो यह संभावना है कि वह मामले के प्रमुख गवाहों को प्रभावित कर सकता है, जिससे न्याय की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

74. इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री *प्रथम दृष्ट्या* आरोपी की संलिप्तता को एक साजिश का हिस्सा होने के रूप में इंगित करती है, क्योंकि वह जानबूझकर आतंकवादी कृत्य को सुविधाजनक बना रहा था, जो कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) की धाराओं के तहत आता है।

75. इस अदालत ने उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि उपर्युक्त परिस्थितियों और अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत को अपील के आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

76. तदनुसार, यह अपील खारिज की जाती है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे.)

(संजय प्रसाद, जे.)

अलंकार/

ए.एफ.आर.

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**